

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD.NO.D.L-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2018]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 21, 2011/आश्विन 29, 1933

No. 2018]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 21, 2011/ASVINA 29, 1933

ग्रामीण विकास मंत्रालय

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2011

New Delhi, the 21st October, 2011

का.आ. 2423(अ).—केंद्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची 1 के पैरा 1 के उप-पैरा (ix) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकारों के परामर्श से यह अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित कार्यों को राज्य सरकार की स्कीमों में सम्मिलित किया जाए, अर्थात् :—

S.O. 2423(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (ix) of Paragraph 1 of the Schedule I of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, in consultation with the State Governments, hereby notifies the following work to be included in the Schemes of the State Governments, namely :—

एकीकृत कार्य योजना के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाचिन्हित जिलों में खेल के मैदानों का सौंपाण ।

Construction of play grounds in districts as identified by the Central Government for Integrated Action Plan.

[सं. जे-11016/35/2011-मन्रेगा]

[No. J-11016/35/2011-MGNREGA]

डी. के. जैन, संयुक्त सचिव

D. K. JAIN, Jt. Secy.

3922 GI/2011